न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 38 / 2013 / (2013 / 00069) जिला–नागौर

निरंजन पुत्र बंसीलाल, जाति ढोली, निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील नांवा जिला नागौर।

..... अपीलार्थी

बनाम

1. प्रकाश चन्द पुत्र मांगीलाल
2. किशोर पुत्र मांगीलाल
3. जितेन्द्र पुत्र मांगीलाल
4. नरेन्द्र पुत्र मांगीलाल
5. मली देवी पुत्री मांगीलाल
6. कंचना दवी पुत्री मांगीलाल
7. कृष्णा देवी पुत्री मांगीलाल
   जाति ढोली निवासी ग्राम मीण्डा तहसील नांवा जिला नागौर।
8. मैना देवी पुत्री सुवालाल जाति ढोली निवासी अर्जुनपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
9. सरपंच ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरडा तहसील नांवा जिला नागौर।
10. हलका पटवारी ग्राम रूपपुरा तहसील नांवा जिला नागौर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नांवा जिला नागौर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कुचामन सिटी जिला नागौर।

..... प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजथान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नांवा दिनांक 10–5–2013
अपील संख्या 04 / 2012

उपस्थित : 1. श्री गोविन्द शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री ज्ञान सिंह रावत अभिभाषक प्रत्यथी संख्या 1 से 8

निर्णय

दिनांक : 11–07–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 8 ने सरपंच ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरडा तहसील नांवा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 10–12–1970 व नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 6–8–1980 की अपील की जिसमें एक पक्षीय बहस सुनकर अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–5–2013 से प्रत्यर्थीगण की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, कुचामन सिटी को प्रतिप्रेषित कर संबंधित आवश्यक पक्षकारों को सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 66 व 165 का विधिवत निस्तारण करने हेतु आदेश पारित कर दिये। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी नांवा के आदेश दिनांक 10–5–2013 की किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि उक्त प्रकरण से संबंधित किसी प्रकार का कोई नोटिस अपीलार्थी को कभी नहीं मिला क्योंकि अपीलार्थी बी.एस.एफ में सर्विस करता है जिसकी पोस्टिंग श्रीनगर में थी इस कारण सर्विस के सिलसिले में वह गांव से बाहर रहता है। इसके बावजूद भी अपीलार्थी की गलत तामील होना बताकर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित कर दिया गया जिसकी उसे कोई जानकारी नही हुई। अपीलार्थी छुटिटयों के दौरान जब गांव आया तब विपक्षीगण मौके पर आये और अपीलार्थी को कहा कि हम तुम्हारे विरूद्ध मुकदमा जीत गए है अब यह जमीन हमारी है हम इसे अपने नाम दर्ज करवा लेंगे तब अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा में जाकर जानकारी की तो पता चला कि उसके विरूद्ध प्रत्यथीगण ने अपील प्रस्तुत कर एकतरफा में निर्णय पारित करवा लिया है तत्पश्चात अपीलार्थी ने संबंधित निर्णय की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया और दिनांक 28–6–2013 को उक्त निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त हुई। तत्पश्चात अपीलार्थी पारिवारिक परिस्थितियों में व्यस्त होने के कारण दिनांक 11–7–2013 को अजमेर आकर अभिभाषक से सम्पर्क कर उससे सलाह कर दस्तावेज आदि का इन्तजाम कर दिनांक 18–7–2013 को माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 8 ने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 9 से 12 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि खेत खसरा नम्बर 116 रकबा 58 बीघा 5 बिस्वा जिसके नये नक्बर 306, 307, 311 वाके ग्राम रूपपुरा में अवस्थित है जिसकी खातेदारी कब्जाकाश्त भागीरथ पुत्र गणेशा जाति ढोली निवासी रूपपुरा तहसील नांवा की थी उसके स्वर्गवास के पश्चात उक्त आराजियात उसकी पत्नी श्रीमति सायरी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई। तत्पश्चात सायरी के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी उसकी दोनें पुत्रियां सरजू देवी एवं बरजी देवी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु सायरी के स्वर्गवास के पश्चात उक्त आराजियात राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत करके बाला–बाला ही जरिये नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 10–12–1970 को मौजूदा अपीलार्थी के पिता स्व0 बंशीलाल के नाम स्वीकृत कर दिया गया तथा इस गलत व गैर कानूनी नामान्तरकरण की आड में स्व0 बंशीलाल ने उक्त आराजिात विधिविरूद्ध तरीके से स्वर्ण जाति के व्यक्ति मांगुराम, छिगनाराम, चन्द्राराम, जस्साराम को बेचान कर दी जिसके आधार पर इनके नाम नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 6–8–1980 स्वीकृत कर दिया जो गैर कानूनी है क्योंकि सायरी की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजियात का नामान्तरकरण सायरी की दोनों पुत्रियों सरजू देवी व बरजी देवी के नाम दर्ज होना चाहिए था तथा सरजू देवी की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसन मौजूदा प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 7 के नाम व बरजी देवी के स्वर्गवास के पश्चात उसकी पुत्री मैना देवी के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत होना चाहिए था इसलिए उक्त दोनों ही नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 10–12–1970 व नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 6–8–1980 निरस्त किये जाकर विवादित आराजियात का

नामान्तरकरण मौजूदा प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 8 के पक्ष में खोले जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निवेदन किया गया।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर गौर नहीं किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 8 ने उनके समक्ष जो अपील प्रस्तुत की थी वह बिल्कुल गलत आधारों पर प्रस्तुत की थी क्योंकि उक्त अपील में मौजूदा प्रत्यर्थीगण ने कथन किया कि सायरी की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजियात का नामान्तरकरण संख्या 66 गलत रूप से अपीलार्थी के पिता स्व0 बंशीलाल के नाम दर्ज कर दिया गया था तत्पश्चात अपीलार्थी के पिता स्व0 बंशीलाल ने उक्त आराजियात का गलत रूप से बेचान मांगूराम, छिगनाराम, चन्द्राराम, जस्साराम के पक्ष में कर दिया जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 165 स्वीकृत कर दिया जबकि मौजूदा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 द्वारा किये गये उक्त कथन निराधार है क्योंकि अपीलार्थी के पिता स्व0 बंशीलाल ने मांगूराम, छिगनाराम, चन्द्राराम, जस्साराम के पक्ष में वादग्रस्त आराजियात का कोई बेचान नहीं किया था इनके पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 165 जो स्वीकृत किया गया था वह बेचान के आधार पर नहीं बल्कि न्यायालय सहायक जिलाधीश परबतसर के निर्णय दिनांक 9–12–1976 के आधार पर स्वीकृत किया गया था। इसलिए रेकार्ड के विपरीत साक्ष्य लेकर मौजूदा प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 8 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो सुनवाई योग्य नहीं थी इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10–5–2013 के द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर कानूनी त्रुटिकारित की है जो निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 8 द्वारा न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की वह अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 9 लगायत 12 एवं मांगूराम, छिगनाराम, चन्द्राराम, जस्साराम के विरूद्ध प्रस्तुत की थी जबकि इन चारों पक्षकारों का देहान्त अपील प्रस्तुत करने के कई वर्षो पूर्वही हो चुका था। इस कारण उक्त अपील एक तरह से मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश की गई थी परन्तु प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 8 ने अपने इस लेकुने को फिलप करने के लिए दिनांक 20–3–2013 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सपठित आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी प्रस्तुत कर इन चारों मृत पक्षकारों के नाम हटाने का निवेदन कर दिया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10–4–2013 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इन चारों मृत पक्षकारों के नाम हटाने के आदेश पारित कर दिये जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 8 ने अपील नामान्तरकरण संख्या 165 के विरूद्ध भी पेश कर रखी है जो इन चारों मृत पक्षकारों के पक्ष में स्वीकृत किया गया था। जब इन चारों मृत पक्षकारों के नाम उक्त अपील से हटा दिये गये थे तो अधीनस्थ न्यायालय नामान्तरकरण संख्या 165 के बाबत किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं कर सकता था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक स्थिति को समझे बिना अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–5–2013 पारित करने में वैधानिक त्रुटिकारित की है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि सायरी की मृत्यु के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 10–12–1970 को मौजूदा अपीलार्थी के पिता स्व0 बंशीलाल के नाम स्वीकृत किया गया था जिसकी कोई अपील सरजू देवी व बरजी देवी के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी यदि उक्त नामान्तरकरण संख्या 66 के विरूद्ध उन्हें कोई आपत्ति होती तो वे इसकी कोई चाराजोही करती परन्तु उन्होंने अपने जीवनकाल में किसी प्रकार की चाराजोही नहीं की उक्त नामान्तरकरण इतने वर्षो बाद अब मॉजूदा प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 8 द्वारा स्वयं को सरजू देवी व बरजी देवी के वारिसान होना बताकर उक्त अपील प्रस्तुत की गई थी जो स्पष्टतः मियाद बाहर थी जिसके समर्थन में अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके अभाव में उक्त अपील सुनवाई योग्य नहीं थी इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दु को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि सायरी की मृत्यु के पश्चात सम्पूर्ण जांच होने के बाद ही अपीलार्थी के पिता स्व0 बंशीलाल के नाम नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 10–12–1970 स्वीकृत किया गया था जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजियात के खातेदारी अधिकार उसमें समाहित हो गये थे और स्व0 बंशीलाल के पश्चात उसके पुत्र अपीलार्थी वादग्रस्त आराजियात पर काबिज काश्त होता चला आ रहा है। यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 8 का वादग्रस्त आराजियात में कोई हक बनता है तो इसके लिए उन्हें सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए क्योंकि नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी प्रकार से हक अधिकार निश्चित नहीं होते है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलाधीन निर्णय पारित करने में वैधानिक कानूनी त्रुटिकारित की है। अतः अपीलर्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, नांवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–5–2013 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि ग्राम रूपपुरा के खसरा नम्बर गत 116 रकबा 58 बीघा 5 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 306, 307, 311 की खातेदारी व कब्जेकाश्त में भागीरथ पुत्र श्री गणेशा जाति ढोली निवासी रूपपुरा तहसील नांवा की रही थी तथा भागीरथ का स्वर्गवास दिनांक 20–1–1931 को हो चुका है तथा उसके पश्चात उक्त खेतों की खातेदारी व कब्जा काश्त भागीरथ की पत्नी सायरी के नाम से राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार दर्ज हो गई तथा जमाबंदी सम्वत 2017–2024 तक में खातेदारी में दर्ज है। सायरी का स्वर्गवास दिनांक 10–2–1940 को हो चुका है। भागीरथ पुत्र गणेशा व सायरी पत्नी भागीरथ ढोली निवासी रूपपुरा की दो पुत्रियां सरजू देवी पुत्री भागीरथ व बरजी देवी पुत्री भागीरथ है तथा सरजू देवी के वारिसान में एक मात्र पुत्री मैना देवी है जो प्रत्यर्थी

संख्या 8 है। सरजू की मृत्यु दिनांक 2–7–1984 को हो चुकी है तथा बरजी देवी पत्नी सुवालाल जाति ढोली निवासी अर्जुनपुरा की मृत्यु के बाद उसकी जगह उसकी दोनों पुत्रियां सरजू देवी व बरजी देवी के नाम से नामान्तरकरण दर्ज होना चाहिए था तथा सरजू देवी की मृत्यु क बाद उनके वारिसान प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 7 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करना चाहिए था। बरजी देवी के स्वर्गवास के बाद उसकी पुत्री मैना देवी के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करना चाहिए था। लेकिन सयरी बेवा भागीरथ कौम ढोली की मृत्यु के बाद राजस्व अधिकरियों की मिली भगत के कारण बाला–बाल ही उक्त भूमि हड़पने की नियत से बंशीलाल पुत्र श्री जयदेव कौम दमामी निवासी रूपपुरा के नाम बिना किसी जांच के व बिना प्रत्यर्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये गैर कानूनी रूप से सरपंच ग्राम पंचायत रूपपुरा द्वारा दिनांक 10–12–1970 को नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। इस गलत नामान्तरकरण की आड में बंशीलाल ने उक्त खेत का विधिविरूद्ध सवर्ण जाति के व्यक्तियों का बेचान कर दिया जिसकी पालना में सरपंच ग्राम पंचायत रूपपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 6–8–1980 स्वीकृत कर दिया। जबकि अनुसूचित जाति की जमीन को स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को बेचान नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम रूपपुरा तहसील नांवा में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर खेत खसरा नम्बर 116 रकबा 58 बीघा 5 बिस्वा जिसके नये नक्बर 306, 307, 311 के मूल खातेदार भगीरथ पुत्र गणेशा थे जिनके स्वर्गवास के पश्चात उक्त आरायिजात विरासतन उसकी पत्नी श्रीमति सायरी देवी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई तथा सायरी के स्वर्गवास के पश्चात विवादित आराजियात उसकी दोनों पुत्रियों सरजू देवी एवं बरजी देवी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु सायरी के स्वर्गवास के पश्चात विरासतन नामान्तरकरण सरजू देवी व बरजी देवी के नाम दर्ज होना चाहिए था किन्तु विवादित आराजियात का नामान्तरकरण सख्या 66 दिनांक 10–12–1970 स्व0 बंशीलाल के नाम स्वीकृत कर दिया गया। जबकि नामान्तरकरण संख्या 66 सायरी की मृत्यु के उपरान्त उनके विधिक वारिसान के नाम दर्ज होना चाहिए था। पटवारी हलका ने नामान्तरकरण के कॉलम में उल्लेखित किया है कि मु0 सायरी फौत हो चुकी है उसके जायन्दा लड़का नहीं है अतः उसके देवर के लड़के श्री बंशीलाल पुत्र जयदेव के नाम नामान्तरकरण खोला गया । जबकि विधिक वारिसान के रूप में सायरी के दो लडकियां सरजू देवी पत्नी मांगीलाल व बरजी देवी पत्नी सुवालाल इन दोनों का स्वर्गवास हो चुका है सरजू देवी के वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 है तथा बरजी की पुत्री मैना देवी प्रत्यर्थी संख्या 8 है। जिनके नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए था। स्व0 बंशीलाल पुत्र जयदेव ने विवादित आराजियात का बेचान सवर्ण जाति के व्यक्ति क्रमशः मांगूराम

पुत्र हुक्माराम जाट, छिगनाराम पुत्र शिवबक्ष जाट, चन्द्राराम पुत्र गंगराम गुर्जर, जस्साराम पुत्र बीजाराम गुर्जर के पक्ष में कर दिया जिसके आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत रूपपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 6–8–1980 स्वीकृत कर दिया।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 42 के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति/जन जाति के सदस्य व्यक्ति की भूमि का अन्तरण ऐसे व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति /जन जाति का सदस्य नहीं है, चाहे ऐसा स्वीकृति के आधार पर ही हुआ हो, अविधिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में स्व0 बंशीलाल पुत्र जयदेव द्वारा सवर्ण व्यक्तियों को विवादित आराजियात का बेचान किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है एवं उक्त बेचान के आधार पर पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 6–8–1980 त्रूटिपूर्ण प्रतीत होता है।

साथ ही पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है कि मु0 सायरी बेवा भागीरथ ने अपने जीवनकाल मे स्व0 बंशीलाल को गोद लिया हो। पटवारी हलका द्वारा किस आदेश से स्व0 बंशीलाल पुत्र जयदेव के नाम फौतगी का नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 10–12–1970 भरकर सरपंच ग्राम पंचायत रूपपुरा तहसील नांवा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। सरपंच ग्राम पंचायत रूपपुरा तहसील नांवा द्वारा विवादग्रस्त आराजियात के मूल स्व0 भागीरथ पुत्र गणेशा पत्नी मु0 सायरी की मृत्यु के पश्चात फौती का नामान्तरकरण तस्दीक करते समय विधिक वारिसान की जांच किये बिना नामान्तरकरण केवल बंशीलाल पुत्र जयदेव के नाम तस्दीक किया गया जो उचित नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत रूपपुरा ने भी उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति संबंधी कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने का कथन अपने पत्र दिनांक 1–5–2013 में किया है। चूंकि विवादित आराजियात का नामान्तरकरण 66 दिनांक 10–12–1970 स्वीकृत करने से पूर्व भागीरथ पुत्र गणेशा मु0 सायरी पत्नी भागीरथ के विधिक वारिसानों की जांच किया जाना अपेक्षित था।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–4 के अनुसार हिन्दू पुरूष की मृत्यु पश्चात उसकी विधवा, पुत्रियां एवं पुत्र उसकी सम्पत्ति के बराबर हिस्सेदार रहेगें। इसी प्रकार उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 33, 34 एवं 59 के अनुसार विवादग्रस्त आराजियात के भूधारक की मृत्यु होने पर उसके जाईन्दा पुत्र, पुत्री एवं विधवा तथा विधवा की मृत्यु पश्चात उसके हक की सम्पत्ति उसके पुत्र एवं पुत्रियों में बहिस्सा बराबर आयेगी। इसके अलावा यह विधि मान्य तथ्य है कि नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है जिससे किसी के हक–हकूकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा द्वारा विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार स्व0 भागीरथ पुत्र गणेशा के समस्त जायन्दा विधिक वारिसानों की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण आदेश पारित

करने हेतु तहसीलदार कुचामन सिटी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवंत थ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नावां द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–5–2013 अपील संख्या 4/2012 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर